FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

चतुर्भुजलाल बनाम बुलाक

किस्म मुकदमा दावा नं. 35 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
12.03.2020	दिनांक 03.03.2020 को इकजाई तारीख पेशी दिये जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 200, 204, 369, 377 तन् ग्राम रींगस में स्थित है। जिसके वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता मृत्तक मंगलचन्द व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 383 रकबा 0.0300 हैक्टर गै.मु. चाह तन् ग्राम रींगस में स्थित है। जिसके वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी वादी संख्या 3 व 4 हिस्सा 1/4 एंव वादी सं. 1 व 2 के पिता मृत्तक प्रभातीलाल पुत्र भूराराम हिस्सा 1/4 एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के दादा–पिता मृत्तक भगवाना पुत्र परताराम हिस्सा 1/12 दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1049 रकबा 0.01 हैक्टर तन् ग्राम रींगस में स्थित है। जिसके वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी वादी संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/6 एंव वादी सं. 3 व 4 के पिता मृत्तक जयकरण पुत्र भूराराम हिस्सा 1/6 एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पिता मृत्तक मंगलचन्द एंव प्रतिवादी संख्या 3 हिस्सा 1/12 दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1059 रकबा 0.62 हैक्टर, 1058 रक्बा 0.21 हैक्टर तन् ग्राम रींगस में स्थित है। जिसके वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी वादी संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/2 एंव वादी सं. 3 हिस्सा 1/4 एंव संख्या 4 हिस्सा 1/4 दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 एक ही परिवार खानदान के हैं। जो सजरा खानदान से स्पष्ट है। वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 आपस में एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों को पारिवारिक सैटलमेन्ट बाहमी बंटवारा काश्त की सुविधा अनुसार	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	[illegible] बनाम [illegible] दावा मु.नं. — 26/2019

कदीम से कर रखा है जिसके अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 200, 204, 369, 377 तन् ग्राम रींगस पर वादी संख्या 1 हिस्सा 1/4 एंव वादी संख्या 2 हिस्सा 1/4 एंव वादी संख्या 3 हिस्सा 1/4 एंव वादी संख्या 4 हिस्सा 1/4 की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 383 रकबा 0.0300 हैक्टर गै.मु. चाह तन् ग्राम रींगस पर अकेले वादी संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/2 एंव वादी संख्या 3 व 4 हिस्सा 1/2 अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। कृषि इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 1049 रकबा 0.01 हैक्टर तन् ग्राम रींगस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/2 एंव प्रतिवादी संख्या 3 हिस्सा 1/2 अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1059 रकबा 0.62 हैक्टर, 1058 रकबा 0.21 हैक्टर तन् ग्राम रींगस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 2 हिस्सा 1/2 काबिज काश्त करते चले आ रहे है। उक्तानुसार वादीगण भूमियों की खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है। उक्त भूमियों की खातेदारी दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादीगण को कहा गया तो पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु दिनांक 20.2.2019 को इन्कार हो जाने पर दावा पेश किया गया। वकील वादीगण ने उक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने तथा उसी अनुसार काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन वादीगण ने वादपत्र में किया है।

हमने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात यथा जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 कुल–चार, पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा दिनांक 02.07.2019 एंव साक्ष्य वादीगण में वादी कजोड़मल व वादी गवाह में हरीश के पेशशुदा शपथ पत्रों का अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण वादी द्वारा ईस्तकरार हक एंव स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है जबकि वादपत्र की मद संख्या 6 में वादीगण ने वादग्रस्त मद संख्या 1 ता 4 का पारिवारिक सैटिलमेन्ट बाहमी बंटवारा काश्त की सुविधा अनुसार कदीम से किया जाना अंकित किया है। सजरा खानदान में वर्णित बिड़दीचन्द पुत्र भगवाना को वादपत्र में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि उसके अन्य भाई व भतीजों को पक्षकार बनाया गया है। वादीगण द्वारा बाहमी बंटवारा व पारिवारिक सैटलमेन्ट होना अंकित किया है जबकि वादीगण अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में

चतुर्भुजलाल बनाम सुभाष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दावा प्र.सं. - 36/2019	

बंटवारा का अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादपत्र केवल मात्र ईस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा का ही पेश किया गया है। प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा तस्दीक दिनांक 02.07.2019 के द्वारा वादीगण अपने हक हिस्से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमियों में से मात्र 0.83 हैक्टर लगभग भूमियाँ का प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 को खातेदार काश्कार घोषित कराना चाहता है तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के द्वारा अपने हक हिस्से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमियों में से लगभग 1.19 हैक्टर भूमियों की खातेदारी वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने बाबत खातेदार काश्तकार घोषित कराना चाहता है। इस प्रकार राजीनामा के मार्फत वादीगण प्रतिवादीगण के बमुकाबले लगभग 0.36 हैक्टर भूमियाँ अधिक अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु उद्घोषणा चाही गई है। जो स्टाम्प ड्यूटी की अपवंचना व राजकीय राजस्व हानि की श्रेणी में आती है। पक्षकारान् के द्वारा आपस में किया गया राजीनामा दुरभी संधि से पेश कर तस्दीक कराया जाना प्रतित होता है। पक्षकारान् के द्वारा आपस में राजीनामा कर न्यायालय में पेश कर दिये जाने मात्र से किसी भी पक्षकार को उसके राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक–हिस्से की भूमि से अधिक भूमि की खातेदारी की उद्घोषणा नहीं दी जा सकती है। केवल राजीनामा पेश कर दिये जाने मात्र से किसी कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार अन्य किसी दीगर व्यक्ति को कानूनन सृजित नहीं किये जा सकते। इस प्रकार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है।

आदेश

अतः वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

Scanned with CamScanner

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	यह निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.04.02 13:20:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: